बिहार सरकार

परिवहन विभाग

निबंधित **पत्रांक–02/कर माफी–07/2016 परि0**

आदेश

वाहन स्वामी द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया। जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा भेजे गये अभिलेख एवं संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। यह विषय वाहन सं0–BR9B 0614 (कमांडर जीप) बनाम श्री रामनारायण प्रसाद, पिता–स्व0 रामप्रीत दास, ग्राम+पो0–खरिका, थाना–सोनपुर, जिला–सारण (छपरा) के कर माफी से संबंधित है। जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली के अभिलेख के अवलोकन से कागजातों की स्थिति निम्न प्रकार पायी गयी :–

2. विषयगत वाहन सं0– BR9B 0614 (कमांडर जीप), श्री रामनारायण प्रसाद, पिता–स्व0 रामप्रीत दास, ग्राम+पो0–खरिका, थाना–सोनपुर, जिला–सारण (छपरा) के नाम से निबंधित है।

3. उपर्युक्त वाहन का प्रथम निबंधन जिला परिवहन कार्यालय, बेगूसराय में हुआ है लेकिन वर्तमान पता दिनांक–04.04.2003 को जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली में दर्ज हुआ है। दिनांक–01.08.2006 से दिनांक–31.07.2007 तक का टैक्स जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली के कार्यालय में जमा किये जाने की सूचना जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली द्वारा दी गई है।

4. दिनांक–24.07.2007 तक बीमा से आच्छादित होने संबंधी रसीद की छायाप्रति संलग्न की गई है। वाहन स्वामी द्वारा संलग्न किये गये शपथ–पत्र एवं आवेदन द्वारा कहा गया है कि उपर्युक्त वाहन दिनांक–02.07.2007 को सुबह खरिका बाजार के पास रोड के किनारे गाड़ी खड़ा करके कुछ समान लेने मालिक के घर गया। इसी बीच पहलेजाघाट की ओर से एक एम्बेस्डर गाड़ी आयी और श्री ललन चौधरी के पुत्र श्री रोहित कुमार, छात्र को धक्का मारकर गोदिन्दचक की ओर भाग गयी। हल्ला होने पर लोंगों के जमात ने सड़क किनारे खड़ी उक्त कमाण्डर जीप में आग लगा दी। पहलेजाघाट नाका से पुलिस के घटनास्थल पर पहुँचने तक जीप पूरी तरह जल गई। पहलेजाघाट ओ0पी0 द्वारा सोनपुर थाना काण्ड संख्या–143/2007 दिनांक–02.07.2007 धारा–279, 304ए भा0द0वि0 के अंतर्गत उक्त जीप जप्त कर लिया गया।

5. माननीय ए0डी0जे0–IV, छपरा द्वारा अपने न्यायादेश दिनांक–13.07.2011 द्वारा गाड़ी मुक्ति का आवेदन स्वीकृत किया गया। उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में न्यायायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, छपरा के पत्रांक–2371, दिनांक–08.08.2011 द्वारा वाहन संख्या–BR09B-0614 (कमांडर जीप) को मुक्त करने हेतु थाना प्रभारी, सोनपुर, जिला–सारण को आदेश दिया गया।

6. जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं दस्तावेजों के अवलोकन एवं वाहन स्वामी द्वारा रखी गई पक्ष की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया की वाहन स्वामी द्वारा जो साक्ष्य दिये गये है उनसे यह स्थापित होता है कि उपर्युक्त वाहन सोनपुर थाना काण्ड संख्या–143/2007 में दिनांक–02.07.2007 को जप्त किया गया था एवं न्यायायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, छपरा द्वारा दिनांक– 08.08.2011 को मुक्त करने हेतु थाना प्रभारी, सोनपुर, जिला–सारण को आदेश दिया गया। जब्ती की तिथि तक उपर्युक्त वाहन का कर जमा है एवं यह बीमा से अच्छादित है। स्पष्टतः जब्ती की तिथि दिनांक–02.07.2007 से दिनांक–08.08.2011 तक की अवधि में यह वाहन परिचालित नही हुआ है जो उपलब्ध साक्ष्यों से पुरित है।

अतः उभय पक्षों के सुनवाई के पश्चात **वाहन संख्या–BR9B 0614 (कमांडर जीप) के दिनांक–01.08.2007 से दिनांक–08.08.2011** तक के कुल देय कर **31,933 (एकत्तीस हजार नौ सौ तेतीस) रुपये** की माफी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

ह0/–

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक–02/कर माफी–07/2016 परि0 578 पटना, दिनांक– 6/2/17

E-mail

प्रतिलिपि – जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. वाहन स्वामी श्री रामनारायण प्रसाद, पिता–स्व0 रामप्रीत दास, ग्राम+पो0–खरिका, थाना–सोनपुर, जिला–सारण (छपरा) को सूचनार्थ प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।